



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082024-256107
CG-DL-E-06082024-256107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2998]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946

No. 2998]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का.आ. 3144(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (NH52 (Old NH-218) के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH52 (Old NH-218) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	एस एल ए ओ एनएच धारवाड़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH52 (Old NH-218)	कर्नाट क	धारवाड़	नवलगुंद	1 बेलावतगी 2 नवलगुंद.

		के कि.मी 145 से कि.मी 165 तक				3	बेलावतगी क्रॉस
						4	शेलवाडी.
						5	चिलकवाड.
						6	कुमारकोप्पा.
						7	यमनूर.

[फा. सं. RW/NH-52(Old NH-218/KNT/2024)]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 3144(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenace, management and operation of the National Highway No (NH52 (Old NH-218) in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH52 (Old NH-218) in the State of KARNATAKA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO NH Dharwad	NH52 (Old NH- 218) KM 145 TO KM 165	KARNATAKA	DHARWAD	Navalgund	1 Belavatgi 2 Navalgund. 3 Belavatgi Cross 4 Shelvadi. 5 Chilakvad. 6 Kumarkoppa. 7 Yamnoor.

[F. No. RW/NH-52(Old NH-218/KNT/2024)]

ABHAY JAIN, Director